संख्या-74/2025/524/35-4-2025/35-4099/53/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक 27 जून, 2025

विषयः- जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्य की अवशेष जी०एस०टी० की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-242/2022/850/35-4-2022, दिनांक 05 अगस्त, 2022 द्वारा 02 स्वीकृत निर्माण कार्यों में से प्रश्नगत कार्य (शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2022 के क्रमांक-02 पर अंकित) हेतु अनुमोदित लागत रु0 207.38 लाख (जी०एस०टी० सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 103.69 लाख एवं शासनादेश संख्या-895/2023/2850/35-4-2023/35-4099/53/2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 103.69 लाख, इस प्रकार प्रश्नगत कार्य की पूर्व में स्वीकृत लागत की कुल धनराशि रू0 207.38 लाख (100%) निर्गत की जा चुकी है।

2- आपके पत्र सं0-859/त्वा०आ०वि० यो०/परौख/2023-24 दिनांक 03 फरवरी, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त एव द्वितीय के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपभोग किये जाने एवं बचत पत्र में बचत रू0 7.55 लाख वापस किया जाना इंगित करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि योजना पर तत्समय स्वीकृत जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत है, परन्तु माह जुलाई, 2022 के पश्चात भारत सरकार के नियमानुसार समस्त कार्यों पर जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है, जिसके कारण अतिरिक्त 6 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में सम्मयक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 05.08.2022 द्वारा स्वीकृत लागत को रू0 207.38 लाख से बढाकर रू0 218.49 लाख करते हुये उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए 6 प्रतिशत जी०एस०टी० की अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 11.11 बाख (रूपये ग्यारह बाख ग्यारह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं दिनांक 24 नवम्बर, 2023 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुल स्वीकृत, रू0 207.38 लाख के सापेक्ष कुल व्यय रू० 199.83 लाख के फलस्वरूप बचत रू0 7.55 लाख को राजकोष में जमा कर दिया गया है।
3. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या-74 /2025/524(1)/35-4-2025/35-4099/53/2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जीउ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर देहात ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर देहात ।
13. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात ।
14. नोडल अधिकारी, बजट आबंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।